# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

## पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या :– 2021/492 (जीसीएमएस)

1. मलकीत सिंह, पुत्र लक्ष्मण सिंह उम्र 56 वर्ष जाति रायसिख निवासी 4 एसटीआर तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

....प्रार्थी

बनाम

1. सरजीत सिंह पुत्र अमीर सिंह जाति रायसिख उम्र 62 वर्ष साकिन 19 केडब्ल्युएम – धान्धु तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. दलीप सिंह पुत्र अमीर सिंह जाति रायसिख उम्र 60 वर्ष साकिन 19 केडब्ल्युएम – धान्धु तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. गुरदेव सिंह पुत्र अमीर सिंह जाति रायसिख उम्र 50 वर्ष साकिन 19 केडब्ल्युएम – धान्धु तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज.।

....अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री हरजीत सिंह, वकील प्रार्थी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।
3. स्टेट की ओर से राजपैरोकार।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा**
**251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**–: निर्णय :–**

दिनांक :– 16.08.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील घड़साना के वक 19 केडब्ल्युएम के प0नं0 111/19 मु0नं0 31 के किला नं0 16 ता 25 में कुल 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से इसी मुरब्बा के किला नं0 1 ता 5 में कुल 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से इसी मुरब्बा के किला नं0 11 ता 15 में कुल 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से इसी मुरब्बा के किला नं0 6 ता 10 में कुल 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के किला नं0 16 ता 25 में आने – जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के किला नं0 1, 10, 11 में 1–1 बिस्वा चालू रास्ता है जिससे प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में लगभग 10 वर्षों से आवागमन करता चला आ रहा है तथा अपने कृषि औजार आदि इसी चालू रास्ता से होते हुए अपने खेत में लाता व ले जाता है। उक्त चालू रास्ता के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु कोई अन्य रास्ता नहीं है। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 उक्त रास्ता को बन्द करने की फिराक में है। अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

3 द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य रास्ता नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के किला नं0 1, 10, 11 में 1– 1 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु उक्त चालू रास्ता की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से है इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को उनकी भूमि चक 19 केडब्ल्यूएम के प0नं0 111/19 मु0नं0 31 के किला नं0 1, 10, 11 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आग्रह किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने रास्ता स्वीकृत करवाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। चूंकि प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि में आने जाने हेतु इस चालू रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को चक 19 केडब्ल्यूएम के प0नं0 111/19 मु0नं0 31 के किला नं0 1, 10, 11 प्रत्येक किला में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के रकबा में किला नं0 1, 10, 11 में से 1–1 बिस्वा के सिवाय अन्यत्र कोई रास्ता का विकल्प प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं होने के कारण भारी परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के रकबा तहसील घड़साना के चक 19 केडब्ल्यूएम के प0नं0 111/19 मु0नं0 31 के किला नं0 1, 10, 11 में से 1–1 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन किया जावे।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 02.02.2022 को राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि यदि प्रार्थी द्वारा चाहे गए अनुतोष मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है तो अप्रार्थीगण को एतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 को विधिवत् रूप से नोटिस तामिल होने के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 12.07.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट की ओर से तहसीलदार घडसाना द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस की गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने एवं अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया जाता है कि प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि के किला नं0 1, 10, 11 में रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है व अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी को उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने – जाने के लिए एवं कृषि कार्यों के लिए उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसील घड़साना के चक 19 केडब्ल्युएम के प.नं. 111/19 मु.नं. 31 में किला नं. 1, 10, 11 में 1–1 बिस्वा रास्ता अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के बदले में डीएलसी दर की दुगुनी राशि का भुगतान किए जाने की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है एवं तहसीलदार राजस्व घड़साना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना